न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 120 / 2021 **GCMS 2021/454**

वादी

1. ग्राम पंचायत खारिया पंचायत समिति कुचामनसिटी जरिए सरपंच देवीलाल दादरवाल पुत्र मांगीलाल जाति कुमावत निवासी खारिया तहसील तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. गोपाल पुत्र देबूराम जाति जाट निवासी दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
2. गोपाल पुत्र घासीराम जाति कुमावत निवासी आसनपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
3. देवीलाल पुत्र हणमान जाति कुमावत निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
4. बालूराम पुत्र हणमान जाति कुमावत निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
5. पेमाराम पुत्र तुलछाराम जाति कुमावत निवासी दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
6. परसराम पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
7. बिरजू पुत्र रामसुख जाति कुमावत निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
8. रामूराम पुत्र भुवानाराम जाति जाट नि. रणवां की ढ़ाणी सारणपुरा तह. कुचामनसिटी जिला नागौर
9. रोहिताश पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया तहसील नावां जिला नागौर
10. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)
11. बालूराम पुत्र मांगीलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी

दावा :– इस्तकरार हक व भू–विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा 53,88 राज.काश्त.अधि.1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2, 5, 11 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 07.07.2023

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त हो चुकी है, माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। उभय पक्षकारान की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 09.02.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामंनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0 / / 114 दिंनाक 07.06.2023 के द्वारा भिजवाई गई, दिनॉक 17.04.2023 को तैयार मौका फर्द बंटवारा स्कीम (विभाजन प्रस्ताव) शामिल मिसल उपलब्ध है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में ग्राम खारिया तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 349 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 357 रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 368 रकबा 0.01 हैक्टर कुल रकबा [illegible] हैक्टर [illegible] नम्बर 357 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे बिन्दू संख्या **A** 105 मीटर लम्बाई व 4.[illegible] मीटर चौड़ाई का कुल रकबा 0.05 हैक्टर रास्ता सभी सह खातेदारान की संयुक्त [illegible] अनुसार) रहेगा, बिन्दू संख्या **B** (खसरा नम्बर 357 में से) 0.12 हैक्टर पर ग्राम पंचायत खारीया के हक हिस्से [illegible] बताया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खसरा नम्बर 355, 356, 357 के शेष रकबे पर प्रतिवादी संख्या 01 रकबा 1.964875 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 2 रकबा 0.9610 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 5 रकबा 0.56015 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 11 रकबा 0.303975 हैक्टर पर कब्जा काश्त होना बताया गया, प्रतिवादी सं. 5 का शेष हिस्सा रकबा 0.35555 हैक्टर शेष खसरा नम्बर 349, 350, 351, 368, 1025/366, 1026/366, 1027/367, 1028/367 में संयुक्त खातेदारी में होना बताया, मौके पर नजरी नक्शा तैयार कर संबंधित के हक हिस्से की भूमि दर्शायी गई। उभय पक्षकारान अधिवक्ता की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका फर्द बंटवार स्कीम (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम खारिया तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 349 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 357 रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 368 रकबा 0.01 हैक्टर कुल रकबा 5.33 हैक्टर मे खसरा नम्बर 357 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे बिन्दू संख्या **A** 105 मीटर लम्बाई व 4.7620 मीटर चौड़ाई का कुल रकबा 0.05 हैक्टर रास्ता सभी सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी में (हिस्सा जमाबंदी अनुसार) रहेगा, बिन्दू संख्या **B** (खसरा नम्बर 357 में से) 0.12 हैक्टर पर ग्राम पंचायत खारीया को खातेदार घोषित किया जाता है, खसरा नम्बर 355, 356, 357 के शेष रकबे पर प्रतिवादी संख्या 01 रकबा 1.964875 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 2 रकबा 0.9610 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 5 रकबा 0.56015 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 11 रकबा 0.303975 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 5 को शेष हिस्सा रकबा 0.35555 हैक्टर शेष खसरा नम्बर 349, 350, 351, 368, 1025/366, 1026/366, 1027/367, 1028/367 में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खसरा एवं शेष रकबा में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2, 5, 11 के नाम हटाये जाते है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द बंटवारा स्कीम (विभाजन प्रस्ताव) निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 07/07/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:04 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 120 / 2021 **GCMS 2021/454**

वादी

1. ग्राम पंचायत खारिया पंचायत समिति कुचामनसिटी जरिए सरपंच देवीलाल दादरवाल पुत्र मांगीलाल जाति कुमावत निवासी खारिया तहसील तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. गोपाल पुत्र देबूराम जाति जाट निवासी दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
2. गोपाल पुत्र घासीराम जाति कुमावत निवासी आसनपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
3. देवीलाल पुत्र हणमान जाति कुमावत निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
4. बालूराम पुत्र हणमान जाति कुमावत निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
5. पेमाराम पुत्र तुलछाराम जाति कुमावत निवासी दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
6. परसराम पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
7. बिरजू पुत्र रामसुख जाति कुमावत निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
8. रामूराम पुत्र भुवानाराम जाति जाट नि. रणवां की ढ़ाणी सारणपुरा तह. कुचामनसिटी जिला नागौर
9. रोहिताश पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया तहसील नावां जिला नागौर
10. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)
11. बालूराम पुत्र मांगीलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी

दावा :– इस्तकरार हक व भू–विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा 53,88 राज.काश्त.अधि.1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू अशोकपुरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम खारिया तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 349 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 357 रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 368 रकबा 0.01 हैक्टर कुल रकबा 5.33 हैक्टर मे खसरा नम्बर 357 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे बिन्दू संख्या **A** 105 मीटर लम्बाई व 4.7620 मीटर चौड़ाई का कुल रकबा 0.05 हैक्टर रास्ता सभी सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी में (हिस्सा जमाबंदी अनुसार) रहेगा, बिन्दू संख्या **B** (खसरा नम्बर 357 में से) 0.12 हैक्टर पर ग्राम पंचायत खारीया को खातेदार घोषित किया जाता है, खसरा नम्बर 355, 356, 357 के शेष रकबे पर प्रतिवादी संख्या 01 रकबा 1. 964875 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 2 रकबा 0.9610 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 5 रकबा 0.56015 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 11 रकबा 0.303975 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 5 को शेष हिस्सा रकबा 0.35555 हैक्टर शेष खसरा नम्बर 349, 350, 351, 368, 1025 / 366, 1026 / 366, 1027 / 367, 1028 / 367 में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2, 5, 11 के नाम हटाये जाते है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। [illegible]ार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द बंटवारा स्कीम (विभाजन प्रस्ताव) [illegible] डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी [illegible] रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरी[illegible]ारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

निज .... मुबलिग .... बाबत.....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07 माह 07 सन् 2023 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

(मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:04 IST
Reason: SelfAttested

R. कोर्ट
04/07/2023

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

क्रमांक/भू.अ 1014 दिनांक 07-06-2023

प्रेषित:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
कुचामन सिटी

विषय:- राजस्व वाद संख्या 120/2021 ग्राम पंचायत खारिया बनाम गोपाल कौरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान के कार्यालय पत्रांक कोर्ट/2023/36 दिनांक 09-02-2023

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्व प्रकरण वाद संख्या 120/2021 ~~[illegible]~~ ग्राम पंचायत खारिया बनाम गोपाल कौरह मे पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष भू०अ० निरीक्षक कुचामन सिटी व पटवारी हल्का खारिया की उपस्थिति में तैयार करवाई गई है।
अतः मूल बी बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:04 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 17/04/2023 को श्रीमान तहसीलदार साहब, कुचामन-
-सिटी के आदेश क्रमांक मू.अ./री./06 दिनांक 14.2.2023 की
पालना में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के
राजस्व प्रकरण वाद संख्या 120/2021 CCMS 2021/454 ग्राम पंचायत
खारिया बनाम गोपाल वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री निर्णय दि.
9.2.2023 की पालना में बंटवारा स्कीम तैयार करने हेतु प०ह०
खारिया के साथ ग्राम खारिया के ख.नं. 349, 350, 351, 355, 356,
357, 368, $\frac{1025}{366}$, $\frac{1026}{368}$, $\frac{1027}{367}$, $\frac{1028}{367}$ कुल किता :11 कुल रकबा
5.33 है० के मौके पर पहुंचा। मौका स्थिति व राजस्व रिकॉर्ड का
अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी व प्रतिवादीगण
सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त खसरान पर
माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी व माननीय न्याया-
-लय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दर्ज है।
मौके पर पक्षकारान उपस्थित मिले। मौके पर उपस्थित पक्षकारान व
पड़ौसियों ने निम्न नजरी नक्शानुसार वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा-
काश्त होना बताया।

नजरी नक्शा

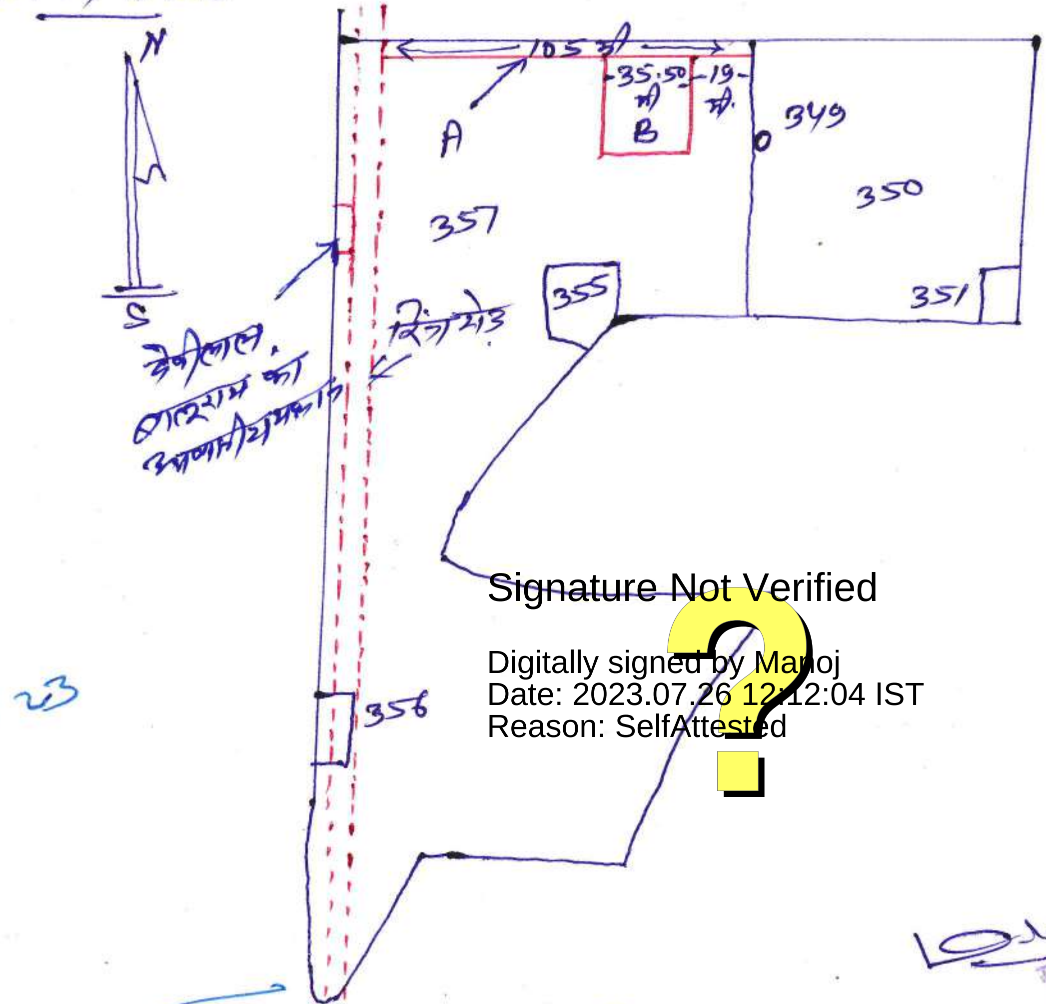

LR
19.5.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:04 IST
Reason: SelfAttested

परमाराम
कालूराम
गोपालराम

सरपंच
ग्राम पंचायत खारिया
कुचामन सिटी, नागौर

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

नक्शानजरियानुसार ख.नं. 357 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे बिन्दु
संख्या A 105 मीटर लम्बाई व 4.7620 मीटर चौड़ाई का कुल 0.05 है
भाग सभी खातेदारान की संयुक्त खातेदारी में (हिस्सा मकान-
अनुसार) रखा। बिन्दु सं. B (ख.नं. 357 में से) पर 0.12 है ग्राम
पंचायत खारिया के एक हिस्से में होना बताया। ख.नं. 355, 356
व ख.नं. 357 के शेष रकबे पर प्रतिवादी संख्या 01 रकबा 1.964875
है, प्रति.सं. 02 रकबा 0.9610 है, प्रतिवादी सं. 05 रकबा 0.56015 है,
प्रति.सं. 11 रकबा 0.303975 है कब्जा काश्त होना बताया गया।
प्रतिवादी सं. 05 का शेष हिस्सा रकबा 0.35555 (0.36705) है शेष खसरा नं.
349, 350, 351, 368, 1025/366, 1026/366, 1027/367, 1028/367 में संयुक्त खातेदारी में
होना बताया। मौके पर उपस्थित काश्तकार पक्षकारान व पड़ौसियों के
मौका फर्द बंटवारा स्तरीय माननीय न्यायालय आदेशानुसार तैयार
कर पढ़कर सुनाई गई। उपस्थित पक्षकारान ने बताया कि
उपरोक्तानुसार ही भौतिक विभाजन करवाना चाहते हैं। उपस्थित ने
पढ़कर, सुनकर व समझकर हस्ताक्षर किये।

Kumar S
प० खारिया

MR कुं सिंह

प्रेमाराम

बालूराम

गोपालराम

सरपंच
ग्राम पंचायत खारिया
पं.स. कुचामन सिटी, नागौर

तहसीलदार ... कुचामन सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:04 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं कुलदीप ....(नाम) तहसीलदार कु. सिरी, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कु. सिरी .... के आदेश कमांक /कोर्ट/2023/36 दिनांक 03/2/23 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 17.4.23 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर- 349, 350, 351, 355, 356, 357, 360, 1025 to 1028, 366, 367 वाके ग्राम [illegible] पटवार हल्का [illegible]... पर श्री .... नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कु. सिरी .... में विचाराधीन प्रकरण संख्या- 120/2021 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	प्रेमाराम	[illegible]		कुम्हार	प्रतिवादी
2.	[illegible]	" मांगीलाल		— " —	— " —
3.	गोपालराम	" [illegible]		[illegible]	— " —
4.	ओमप्रकाश	" [illegible]		कुम्हार	— " —
5.	[illegible]	" मांगीलाल		कुम्हार	वादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

संलग्न मौका फर्द अनुसार

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:04 IST
Reason: SelfAttested

— [illegible] —

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1.	प्रेमाराम	गुलछाराम	कुमावत		
2	बालूराम	मोतीलाल	--	प्रेमाराम	प्रतिवादी
3.	गोपालराम	केशुराम	भाट	बालूराम	--
4.	गोपालराम	छगनीराम	कुमावत	गोपालराम	--
5.	केवलाराम	मोतीलाल	--		वादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

सरपंच ग्राम पंचायत ... प्र.स. कुचामन सिटी

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.

— nil —

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ . मोबाईल नं..

— nil —

इस प्रकार आज दिनांक 17.4.2023 को यह ... रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:04 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. तह.	तहसीलदार
पं. मं. खाखोली	वृत. कु. सिटी	....	....

नायब तहसीलदार कुचामन सिटी